

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 01-06-2018

::आज्ञा::

विधि सेवा एवं विधि रचना संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	संदीप भारद्वाज कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय वादकरण, विधि प्रकोष्ठ -4, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (प्रारम्भिक परीक्षा)
2.	निशांत गौड़ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (प्रारम्भिक परीक्षा)
3.	डॉ. नेमीचन्द्र विधि रचनाकार	प्रकोष्ठ-1, विधि (विधि रचना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (विधि) के साक्षात्कार हेतु

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-६०-
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


1-6-18
संयुक्त शासन सचिव